# नागरिक का चार्टर

(2019-20)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगनसशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन ,5वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
**http://disabilityaffairs.gov.in**

## 1. प्रस्तावना

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया गया था। इस विभाग को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के कार्य हेतु अधिदेशित किया गया है, एवं यह विभाग विभिन्न पणधारकों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के बीच प्रभावी करीबी समन्वयन सहित दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता से संबंधित मामलों के लिए एक दिव्यांगता क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।14.05.2016 की अधिसूचना के अनुसार विभाग का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के रूप में पुन: नामांकन किया गया है।

## 2. विजन और मिशन

**विजन:** एक समावेशी समाज जिसमें दिव्यांगजनों को उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अग्रसर करने हेतु संवर्धन एवं विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

**मिशन:** दिव्यांगजनसशक्तिकरण विभाग का मिशन अपने लक्षित समूह, अर्थात्, दिव्यांगजनों को, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाना है।

वास्तविक पुनर्वास: सेवाएं जैसे प्रारंभिक पहचान और उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास। दिव्यांगजनोंके लिए तकनीकी प्रगति हेतु अनुसंधान और विकास।

सहायक यंत्रों और सहायक डिवाइसों की आपूर्ति के माध्यम से सुगम्यतासंवर्धन
- शैक्षिक सशक्तिकरण
- कौशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण
- सामाजिक सशक्तिकरण
- पुनर्वास व्यवसायिकों / कर्मियों का विकास
- पक्षसमर्थन और जागरूकता पैदा करना।

## 3. मुख्य सेवाएं/कार्य

विभाग के पास अपना स्वयं का कोई क्षेत्रीय सेट-अप नहीं है। इसलिए, विभाग की सभी योजनाएं / कार्यक्रम निम्नलिखित एजेंसियों के माध्यम से दिशानिर्देशों / स्थायी निर्देशों के अनुसार, लागू किए जाते हैं:

| **क्र.सं.** | **वहएजेंसी जिनके लिए मंत्रालय की निधियां इसकी योजनाओं / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जारी की जाती हैं** |
|---|---|
| 1. | राज्य सरकार / राज्य चैनलाईजिंग एजेंसियां |
| 2. | विभाग के केंद्रीय स्वायत्त संस्थान (उदाहरण के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगसंस्थान, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तीय विकास और निगम और भारतकृत्रिम अंग विनिर्माण निगम आदि) |
| 3. | अन्य एजेंसियां जैसे कि यूजीसी, डीएवीपी, विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता संस्थान, शिक्षा इत्यादि। |
| 4. | गैर-सरकारी संगठन |

## 4. सेवा / कार्य

| क्र.सं. | सेवा / कार्य | प्रक्रिया | आवश्यक दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजन को सहायता (एडिप) योजना: सहायक यंत्रों और उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से दिव्यांगजनोंके वास्तविक पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (एनजीओ/ एनआई /डीडीआरसी/ एलिम्को /राज्य विकलांग विकास निगम / अन्य स्थानीय निकाय) को सहायता अनुदान जारी करना। | 1.राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आवंटन का संप्रेषण<br><br>**चल रहे मामलें**<br>2.राज्य सरकारों से उनकी सिफारिशों के साथ पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी सेअनुदान जारी करना।<br>**नए मामले**<br>3. मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश परविचार करना।<br>4.सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी सेअनुदान जारी करना। | i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन।<br><br>ii) ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने पर।<br>iii) एनजीओ / राज्य सरकार संगठनों के मामले में राज्य सरकार की सिफारिश।<br>iv) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, एसोसिएशन के ज्ञापन इत्यादि।<br>v) अवधि, पैन संख्या और आधार संख्या के साथ प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची।<br>vi) वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, यूसी, लेखापरीक्षित खातों की प्रति।<br>vii) कर्मचारियों की सूची, बुनियादी सुविधाओं की सुविधा, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | गतिविधियांइत्यादि।<br>viii) पिछले वर्ष के लिए लाभार्थियों की सूची संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रमाण पत्र के साथ।<br>ix) दूसरी किश्त के मामले में, पहली किश्त के यूसी, लाभार्थियों की सूची और खरीदे गए और वितरित सहायक सहायता के सबूत।<br>X) पिछले अनुदान के लिए लाभार्थियों (टेस्ट चेक रिपोर्ट) की टेस्ट चेक की सूची।<br>XI) बॉन्ड / पीएसआर / स्पष्ट आरटीजीएस / आईएफएससी कोड के साथ बैंक विवरण, एजेंसी विवरण पैन / टीएएन / टीआईएन सं.<br>XII) संगठन से यहएक प्रमाण पत्र कि लाभार्थी से यहलिखवाया गया है कि उसने पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसी अन्य एजेंसी / स्रोत से ऐसी सहायता प्राप्त नहीं की है और वह उसे अपने वास्तविक उपयोग के लिए रखेंगे। |
| 2. | दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस): दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित उनकी परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है ताकि दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी,बौद्धिक, | **चल रहे मामलें**<br>1.राज्य सरकारों से उनकी सिफारिशों के साथ पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी सेअनुदान जारी करना।<br>**नए मामले**<br>2. मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश परविचार करना।<br>3. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी सेअनुदान जारी करना। | i) राज्य सरकार से सिफारिश<br>ii) निरीक्षण रिपोर्ट<br>iii) पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र<br>iv) किराया समझौता<br>v) लाभार्थियों की सूची<br>vi) कर्मचारियों की सूची<br>vii) समझौता ज्ञापन<br>viii) वार्षिक रिपोर्ट / बजट / लेखा<br>ix) प्रबंधन समिति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तर तक पहुंचने और बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके । | | x) प्राधिकरण पत्र<br>xi ) संकल्प<br>xii ) क्षतिपूर्ति बांड |
| 3. | सिपडा योजना:<br>(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से पुनर्वास और बाधा मुक्त वातावरण के प्रावधान से संबंधित। | परअनुदान जारी करना:<br>i) राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर<br>ii) आईएफडी सहमति प्राप्त करना<br>iii) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मांगना। | i) पहले जारी अनुदान के यूसी<br>ii) राज्य सरकारों से पूर्णप्रस्ताव; आदि।<br>iii) एक ऐसेअधिकारी द्वारा,जोसीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता से कम नहीं हो, विधिवत तैयार किए गए निर्माण कार्य के लिए लागत अनुमान।<br>(iv) राज्य सरकार के तहत राज्य सरकार द्वारा या अन्य संगठनों / विश्वविद्यालयोंआदि द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश। |
| 4. | दिव्यांगनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले और दिव्यांगता में अनुसंधान और विकास करने वाले विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में मानव संसाधन विकासित करने के लिए आठ राष्ट्रीय संस्थानों (मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय) को अनुदान जारी करना। | परअनुदान जारी करना:<br>i) राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर<br>ii) आईएफडी सहमति प्राप्त करना<br>iii) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मांगना। | पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों के साथ पहले जारी अनुदान के यूसी |
| 5. | दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:<br>(i) दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक | (i) प्री-मैट्रिक,पोस्ट मेट्रिक, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल परऔर राष्ट्रीयफैलोशिप के लिए यूजीसी पोर्टल पर आमंत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति एवंनि:शुल्क कोचिंग | (i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यान्वित की जा रही छात्रवृत्तियों के लिए स्कूल / संस्थानों / राज्यसरकारों से छात्रवृत्ति के लिए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (ii)दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक<br>(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा<br>(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप<br>(v) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति<br>(vi) दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग। | के लिएआवेदनऑफ़लाइन आमंत्रित किए जाते हैं।(ii) पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी छह छात्रवृत्ति के संबंध में डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी करना।<br>(iii) छात्रवृत्ति राशि जारी करने के लिए आईएफडी सहमति प्राप्त करना।<br>(iv)सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना।<br>(v) छात्रवृत्तिराशि जारी करने<br>के लिए स्वीकृति<br>जारी करना। | सिफारिश।<br>(ii) यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय फैलोशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन ।<br>(iii) नि:शुल्क कोचिंग के लिए एजेंसियोंकोपैनलबद्ध करने हेतु स्क्रीनिंग और चयन समिति।<br>(iv) राष्ट्रीय<br>ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग छात्रों के चयन हेतुस्क्रीनिंग एवं चयन समिति। |
| 6. | राष्ट्रीय कार्य योजना<br>(एनएपी) के<br>तहत दिव्यांगजनोंका कौशल विकास । | 1. पैनलबद्ध करने हेतु मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदक संगठनों के प्रस्ताव पर विचार।<br>2. राज्य सरकार सिफारिश के साथ-साथ पैनलबद्ध प्रशिक्षण सहभागियों से परियोजना विशिष्ट प्रस्तावों को आमंत्रित करना।<br>3. राज्य सरकार सिफारिश के साथ-साथ पैनलबद्ध प्रशिक्षण सहभागियों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर और प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुदान की प्रथम किस्तकी निर्मुक्ति ।<br>4. प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और मूल्यांकन और प्रमाणन के पूरा होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुदान की दूसरी किस्त जारी करना।<br>5. प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट के साथ-साथ प्लेसमेंट पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुदान की 3 किस्त जारी करना। | i) राज्य सरकार से सिफारिश<br>ii) गैर सरकारी संगठन दर्पण आईडी (गैर सरकारी संगठनों के मामले में)<br>iii) पंजीकरण प्रमाणपत्र<br>iv) लाभार्थी सूची<br>v) पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र<br>vi) रेंट एग्रीमेंट<br>vii) स्टाफ की सूची उनके जीवनवृत्त के साथ<br>viii) पहले से रखे गए प्रशिक्षुओं की सूची<br>ix) प्लेसमेंट कंसल्टेंसी / संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन<br>x) वार्षिक रिपोर्ट / बजट / लेखा<br>xi) प्रबंधन समिति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | xii) स्वीकृति पत्र<br>xiii) इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट<br>xiv) क्षतिपूर्ति बांड<br>xv) मंत्रालय से पहले प्राप्त अनुदानों का उपयोग प्रमाणपत्र<br>xvi) व्यय विवरण |
| 7. | "ब्रेल प्रेसों की स्थापना, आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि" के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना | • योजना के तहत नए ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों जैसे राज्य सरकारों / निजी गैर-सरकारी संगठनों/ संस्थानोंसे प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए विज्ञापन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में जारी किया जाता है।<br>• नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटी (एनआईईपीवीडी), जो स्कीम की नोडल एजेंसी है, प्राप्त आवेदनों को सत्यापित करती है।<br>• निम्नलिखित की पुष्टि करने के लिए पात्र आवेदकों का एनआईईपीवीडी के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया जाता है: -<br>○ ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए निर्धारित स्थान की उपलब्धता;<br>○ ब्रेल प्रेस चलाने के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता<br>○ संगठन के लेखा परीक्षित लेखे ।<br>• निरीक्षण रिपोर्ट और इसकी सिफारिश की प्राप्ति के आधार पर, स्कीम की स्क्रीनिंग समति नोडल एजेंसी के माध्यम से आवेदक को ब्रेल प्रेस की लागत की पहली किस्तके रूप में सहायता अनुदान (जीआईए) का 50 % जारी करती है ।<br>• सहायता अनुदान की दूसरी किस्तनिरीक्षण टीम की स्थापना के बाद की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी की जाती है।इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान/ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए ब्रेल सामग्रियों की छपाईमें शामिल लागत की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। | • प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में;<br>• राज्य सरकारों के मामले में, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अनुशंसित;<br>• विश्वविद्यालयों के मामले में संस्था के प्रमुख द्वारा अनुशंसित;<br>• राज्य की समितियों के रजिस्ट्रार के तहत निजी गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण;<br>• नीती आयोग के एनजीओ पोर्टल पर निजी गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण ;<br>• निजी गैर सरकारी संगठनों के मामले में राज्य सरकार की सिफारिश;<br>निजी एनजीओ को सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करने से पहले, निजी एनजीओ को जीएफ आर रूल्स, 2017 के अनुसार सहायता अनुदान के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | विदेशी उपहार सामग्री की आपूर्ति पर भारत सरकार जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय समझौते | 1. द्विपक्षीय समझौतों में यह प्रावधान किया गया है कि प्राप्त माल कृषि विकास, पुनर्वास, स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए होना चाहिए (दिव्यांगजनों के लिए , शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य राहत सामग्री के लिए,रेड क्रॉस और सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों जैसी गैर-लाभकारी स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से दान में दियाजाना चाहिए) ।<br>2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण के लिए नोडल मंत्रालय है, जो उन्हें धर्म, जाति, पंथ, रंग, नस्ल या लिंग के आधार पर बिना किसी भेद के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरण के लिए आयात किए गए सामान पर शुल्क में छूट का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।<br>3. यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसीएलिम्को है।प्राप्तकर्ता संगठन सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को यह उल्लेख करते हुए वचनबद्ध होगा कि उक्त माल के गृहण करने की तारीख से छह महिने या आयुक्त द्वारा अनुमत किए गए अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर उत्पाद एव सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित संबंधित राज्य सरकार या व्यक्ति या संस्थान से प्रस्तुत किया जाएगा, यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र कि उक्त माल बिना किसी भेदभाव के गरीब और जरूरतमंदको नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है । | i. मेमोरंडम ऑफ एसोसीएशन<br>ii. राजपत्रित अधिकारीद्वारा विधिवत सत्यापितपंजीकरण प्रमाणपत्र<br>iii. विगत तीन वर्षों की लेखा परीक्षित आय और व्यय लेखा विवरण।<br>iv. संबंधित राज्य सरकार / प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विधिवत प्रमाणित संगठन की गतिविधियों का विवरण<br>v. दानकर्त्ता कापत्र और दानकर्त्ता का संबंध<br>vi. क्षेत्रऔर ग्राहकके विषय में प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित माल और उसके संभावित उपयोग के ब्यौरे<br>vii. सदस्यों के विवरण के साथ संगठन के शासी निकाय का अस्तित्व ।<br>viii. क्षेत्र कीगतिविधियों के ब्यौरे के साथ-साथ संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य पर एक टिप्पणी।<br>ix. क्षेत्र स्तरवितरण तक पदधारियों के नाम, पता,टेलीफोन नंबरआदि जैसे ब्यौरे के साथ-साथ संगठनात्मक ढांचा। |

## 5. वर्ष : 2019-20के लिए सेवा मानकों की आवश्यकताएं

| क्र.सं. | सेवा / कार्य | सफलता का संकेत | |
|---|---|---|---|
| 1. | एडिपयोजना:सहायक सहायता यंत्रों और उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से दिव्यांगजनोंके वास्तविक पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (एनजीओ/ एनआई एस /डीडीआरसी/ एलिम्को/राज्य विकलांग विकास निगम / अन्य स्थानीय निकाय) को अनुदान सहायता जारी करना। | प्राप्ति पर **चल रहे मामलों**कीप्रक्रिया के लिए समय लिया गया | 60 दिन |
| | | वर्ष के लिए बीई प्राप्त होने पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आवंटन के संप्रेषण में आवश्यक समय | तीस दिन |
| | | **नए मामलों** में, मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य सरकारोंकी सिफारिशों पर विचार के लिए आवश्यकसमय। | 90 दिन |
| | | वर्ष के लिए बीई प्राप्त होने पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को जारीसंप्रेषण में आवश्यक समय | तीस दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस): गैर-सरकारी संगठनों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण और मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए अनुदान सहायता। | वर्ष के लिए बीई प्राप्त होने पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आवंटन के संप्रेषण में आवश्यक समय | 60 दिन |
| | | प्राप्ति पर **चल रहे मामलों**कीप्रक्रिया के लिए समय लिया गया | 90 दिन |
| | | **नए मामलों** में, मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य सरकारोंकी सिफारिशों पर विचार के लिए आवश्यकसमय। | 60 दिन |
| | | स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद निधियां जारी करने के लिए लिया गया समय। | 45 दिन |
| 3. | सिपडा योजना के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करनाविशेष रूप से पुनर्वास और बाधा मुक्त पहुंच के प्रावधान से संबंधित। | सभी प्रकार से पूर्ण और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति पर अनुदान सहायता जारी करने के लिए लिया गया समय | 60 दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | दिव्यांगनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले और दिव्यांगता में अनुसंधान और विकास करने वाले विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में मानव संसाधन विकासित करने के लिए सात राष्ट्रीय संस्थानों (मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय) को अनुदान जारी करना। | सभी प्रकार से पूर्ण और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद एनआई से प्रस्तावों की प्राप्ति पर अनुदान जारी करने के लिए लिया गया समय | 60 दिन |
| 5. | दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:<br>(i) दिव्यांग छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक<br>(ii)दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक<br>(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा | i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रों कापंजीकरण / नामांकन | 120 दिन |
| | | ii) संस्थान / राज्य नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन | 30 दिन |
| | | iii) भुगतान फाइलें तैयार करना | 7 दिन |
| | | iv) राज्य नोडल अधिकारी हस्ताक्षर के लिए पीएफएमएस पोर्टल में भुगतान फाइलों की दृश्यता | 2 दिन |
| | | v) भुगतान फाइलों परडिजिटल हस्ताक्षर | 7 दिन |
| | | vi) प्रोग्राम डिवीजन / मंत्रालय के लिए पीएफएमएस पोर्टल में भुगतान फाइलों की दृश्यता | 1 दिन |
| | | vii) छात्रवृत्ति राशि के भुगतान के लिए आईएफडी की सहमति प्राप्त करना | 7 दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | viii) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना और स्वीकृति पत्रतैयार करना | 7 दिन |
| | | ix) भुगतान फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर, पी एंड ए कार्यालय में बिल दर्ज करना | 7 दिन |
| | (iv) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति | i) राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना | 7 दिन |
| | | ii) ऑफ़लाइन एप्लिकेशन आमंत्रित करना | साल भर |
| | | iii) एप्लिकेशनों की स्क्रीनिंग | 7 दिन |
| | | iv) स्क्रीनिंग और चयन समिति का गठन | 7 दिन |
| | | v) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन समिति के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग | एक दिन |
| | | vi) चयन समिति द्वारा अंतिम चयन | एक दिन |
| | | vii) विभाग की वेबसाइट में चयनित उम्मीदवारों को अपलोड करना | एक दिन |
| | | viii) मूल प्रमाणपत्र / दस्तावेजों का सत्यापन | 7 दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ix) छात्रों को अनंतिम पुरस्कार पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों की सूची पर आईएफडी की सहमति प्राप्त करना | 7 दिन |
| | | x) छात्रों को अनंतिम पुरस्कार पत्र जारी करना | 7 दिन |
| | (v) पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप | i) यूजीसी पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करना | 60 दिन |
| | | ii) आवेदनोंकी जांच करना | 30 दिन |
| | | iii) चयन समिति की बैठक | 30 दिन |
| | | iv) यूजीसी से चयनित उम्मीदवारों की सूची की प्राप्ति | 5 दिन |
| | | v) उम्मीदवारों को फैलोशिप राशि जारी करने के लिए कैनरा बैंक को चयनित उम्मीदवारों को भेजना | 15 दिन |
| | (vi) दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग। | i ) सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने और क्रम में पाए जाने की स्थिति में कोचिंग संस्थानों को पैनलबद्ध करना | 30 दिन |
| | | ii) स्क्रीनिंग और चयन समिति द्वारा कोचिंग संस्थानों का चयन | 30 दिन |
| | | iii) संस्थानों द्वारा छात्रों का नामांकन | 30 दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | iv) छात्रों को कोचिंग शुल्क और स्टाईफंड जारी करने के लिए कोचिंग संस्थानों से छात्रों की सूची प्राप्त करना | 30 दिन |
| | | v) संस्थानों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव पर आईएफडीकी सहमति प्राप्त करना | 15 दिन |
| | | vi) डीबीटी के माध्यम से कोचिंग संस्थान और छात्रों को स्टाईफंडकी राशि जारी करना | 15 दिन |
| 6. | एनएपी के तहत दिव्यांगजनों का कौशल विकास | i ) मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति द्वारा पैनलबद्ध करने के लिए अभिरुचि अभिव्यक्तियों के लिए आवश्यक समय | 90 दिन |
| | | ii) मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति द्वारा पैनलबद्ध प्रशिक्षण सहभागियों के परियोजना विशिष्ट प्रस्तावों के विचार हेतु आवश्यक समय | 90 दिन |
| | | iii) अनुदान सहायता के लिए प्रथम किस्तपर आईएफडी की सहमति प्राप्त करना | 15 दिन |
| | | iv) प्रशिक्षण शुरू करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन जारी करना | 2 दिन |
| | | v) प्रशिक्षण के प्रारंभ के सत्यापन के बाद अनुदान सहायता की प्रथमकिस्तजारी करना | 7 दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | vi)प्रशिक्षण,मूल्यांकन और प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए जानकारी के बाद अनुदान सहायता के लिए दूसरी किस्त पर आईएफडी की सहमति प्राप्त करना | 15 दिन |
| | | vii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद अनुदान सहायता की दूसरीकिस्तजारी करना | 5 दिन |
| | | viii) प्लेसमेंट और प्लेसमेंट पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना के बाद अनुदान सहायता के लिए तीसरीकिस्त पर आईएफडी की सहमति प्राप्त करना | 15 दिन |
| | | ix) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद अनुदान सहायता की तीसरीकिश्तजारी करना | 5 दिन |

**6. संपर्क अधिकारी**

| क्र.सं. | नाम और पदनाम | ईमेल | फ़ोन नंबर | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **एडिपयोजना**<br>श्री एन.एम. रंगनाथन ,<br>उप सचिव | | | 9560241771 |
| 2. | डीडीआरएस<br>श्री विकाश प्रसाद,<br>निदेशक | vikash.prasad@gov.in | 4364391 | 7903918757 |
| 3. | **सिपडा योजना**<br>श्री के.के. झेल ,<br>उप सचिव | kk.jhell@nic.com | 3233672 | 9654582113 |
| 4. | **राष्ट्रीय संस्थान**<br>श्री मृत्युंजय झा ,<br>उप सचिव | mrityunjay.jha@nic.in | 4369068 | 9868516469 |
| 5. | **छात्रवृत्ति योजनाएं**<br>श्री एन.एम. रंगनाथन ,<br>उप सचिव | | | 9560241771 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | **दिव्यांगजनोंका कौशल विकास**<br>श्री सीताराम यादव , उप सचिव | yadav.sitaram@nic.in | 4369025 | 9457030397 |
| 7. | **ब्रेल प्रेसों की स्थापना, आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि**<br>श्री टीसी शिव कुमार,<br>निदेशक | tc.sivakumar@gov.in | 43690 25 | 9441229519 |
| 8. | **विदेशी उपहार वस्तुओं की आपूर्ति पर द्विपक्षीय करार**<br>श्री टीसी शिव कुमार,<br>निदेशक | tc.sivakumar@gov.in | 43690 25 | 9441229519 |

## 7. नागरिक चार्टर के लिए नोडल अधिकारी

| क्र.सं. | नोडल अधिकारी का नाम | लैंडलाइन नंबर | ईमेल | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री टी सी शिवकुमार, निदेशक | 243690 25 | tc.sivakumar@gov.in | 9441229519 |

## 8. सार्वजनिक निवारण तंत्र

( शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट http://pgportal.gov.in )

| क्र.सं. | लोक शिकायत अधिकारी का नाम | लैंडलाइन नंबर | ईमेल | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री टी सी शिवकुमार, निदेशक | 243690 25 | tc.sivakumar@gov.in | 9441229519 |

**9. आरटीआई के लिए नोडल अधिकारी**

| क्र.सं. | नोडल अधिकारी का नाम | लैंडलाइन नंबर | ईमेल | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अरुण कुमार मंडल , अवर सचिव | 24369068 | arunkumar.mandal@gov.in | 9582147213 |

**10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के लिए कृपया देखें : -**

disabilityaffairs.gov.in/content/page//faq.php

**हितधारकों / ग्राहकों की सूची**

**( 2019-20 )**

| क्र.सं. | शेयरधारकों / ग्राहक का विवरण |
|---|---|
| 1 | राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन |
| 2 | सांझा हितों के क्षेत्रों में कार्यरत केंद्र सरकार के मंत्रालय / विभाग |
| 3 | शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरतस्वायत्त संगठन जैसेयूजीसी,उत्कृष्टता के संस्थान जैसे आईआईटी / आईआईएम, विश्वविद्यालय |
| 4 | विभाग को आवंटित किए गए क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन |
| 5 | विभाग के विषय क्षेत्रों में कार्यरत अकादमिकगण |
| 6 | विभाग के लक्षित समूहों की एसोसिएशन |
| 7 | विभाग के विषय क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ता |

**वर्ष: 2019-20 के लिए उत्तरदायित्व केंद्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची**

| **क्र.सं.** | **उत्तरदायित्व केंद्र और अधीनस्थ निगम** | **पता** | **वेबसाइट& संपर्क विवरण** |
|---|---|---|---|

| गैर-सांवधिक स्वायत्त निकाय / निगम- वैधानिक निकायों / निगमों / गैर-एसटीए ट्यूटर स्वायत्त निकायों | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) | बी -22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, नई दिल्ली - 110001 | www.rehabcouncil.nic.in<br>msrci-msje@nic.in<br><br>फोन: 26537381 |
| 2. | दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (CCPD) | सरोजिनी हाउस,<br>6 भगवान दास रोड,<br>नई दिल्ली -110 001 | ccpd@nic.in<br>फ़ोन; 23383907 |
| 3. | आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रतिशोध और एकाधिक विकलांगता () के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट | 6 बी, ओल्ड राजिंदर नगर, ई दिल्ली -110060। | www.thenationaltrust.gov.in<br>contactus@nationaltrust.in<br>फोन: 43187878 |
| 4. | भारतकृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) | जीटी रोड, कानपुर - 208016 | http://www.artlimbs.com<br>cmd alimco@artlimbs.com<br>0512-2770614 |
| 5. | राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) | पीएचडी हाउस,तीसरा तल,4/2, सिरी संस्थागतक्षेत्र, अगस्त क्रानी मार्ग,नई दिल्ली | http://www.nhfdc.org<br>nhfdc97@gmail.com<br>45088637<br>45088638 |
| 6. | पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान ( पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली | 4 विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली -110002 | http://www.iphnewdelhi.in<br>www.iphdelhi.in<br>011- 23232403 |
| 7. | स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वासप्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक | पीओ बैरोई, जिला कटक, उड़ीसा -754010 | http://nirtar.nic.in<br>nirtar@ori.nic.in<br>0671-2805552<br>2805856 |
| 8. | राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान (एनआई एलडी, कोलकाता) | बीटी रोड, बॉन-हुगली, कोलकाता 700090 | http://www.nioh.in<br>director@nioh.in /<br>mail@nioh.in<br>033- 2531 1248 , 25310789 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | राष्ट्रीय दृष्टिदिव्यांगजनसशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी),देहरादून | 116 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल – 248001 | http://www.nivh.org.in<br>anuradhamohit@gmail.com<br>0135- 2744491 |
| 10. | अली यवार जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगता संस्थान (एजेएनआईएसएचएचडी), मुंबई | के.सी. मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई – 400050 | http://ayjnihh.nic.in<br>ayjnihh mum@gmail.com<br>022- 26422638 |
| 11. | राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजनसशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद | मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश –500009 | http://www.nimhindia.org<br>director.nimh@gmail.com<br><br>040- 27759267 |
| 12. | राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई | ईस्ट कोस्ट रोड, मट्टुकुडू, कोवलम पोस्ट, तमिलनाडु –603112 | http://niepmd.in.nic.in<br>niepmd@gmail.com<br>044- 274721404 है |
| 13. | भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली | ए –91, प्रथम तल, नागपाल बिजनेस टॉवर,ओखला फेज– II, नई दिल्ली –110020 | islrtcnewdelhi@gmail.com<br>011-26387558 |

**सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षा**

| **क्र.सं.** | **सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षा** |
|---|---|
| 1 | निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रफॉर्मा, यदि कोई है, में सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण प्रस्ताव जमा करें। |
| 2 | राज्य सरकारें / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन केवल लक्षित लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता का उपयोग करें |
| 3 | राज्य सरकारें / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन लंबी अवधि से प्राप्त केंद्रीय सहायता को रोक कर न रखें और उचित समय के भीतर लक्षित लाभार्थियों को जारी करें। |
| 4 | राज्य सरकारें / संघ शासित प्रदेश प्रशासन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलनों / बैठकों में भाग लेने के लिए पर्याप्त जानकारी के साथ पर्याप्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करें। |
| 5 | गैर सरकारी संगठन और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां योजनाओं के दिशानिर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और |

| | |
|---|---|
| | उनके आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। |
| 6 | मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जाने पर, एनजीओ और अन्य कार्यान्वयन मंत्रालयों को कार्यशाला और अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए |
| 7 | राज्य सरकारों सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को उचित अवधि के भीतर और / या मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जाने के दौरान उनके द्वारा लागू की जा रही योजना / कार्यक्रम के नतीजे की रिपोर्ट करनी चाहिए |
| 8 | मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए नागरिकों / ग्राहकों का स्वागत है, हालांकि, उन्हें बैठक के कम से कम तीन कार्य दिवसों से पहले संबंधित अधिकारी सेअपॉइंटमेंट लेना चाहिए। |